

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत /कैम्प कोर्ट डबली कलां)

1. शीतल पुत्री रायसिंह जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
-वादीया

बनाम
1. रायसिंह पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
2. सरोज पत्नी रायसिंह जाति जाट निवासी डबली कलां तहसील टिब्बी।
-प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर:-252 / 2018
अन्तर्गत धारा:-88 आरटीए
निर्णय दिनांक:-13.6.2018

वादीया की ओर से श्री सन्दीप कस्वां एडवोकेट व प्रतिवादीगण की ओर से श्री मदनसिंह बुरडकवर्मा एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 13.6.2018 को उम्मेदसिंह उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि:- प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह के नाम से वाके चक नं. 13 डीबीएल के खाता संख्या 40/39 में कुल 2.428 है. दर्ज कमाण्ड आराजी की वादीया को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है,उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में वादीया के नाम से अंकन कर चक नं. 13 डीबीएल के खाता संख्या 40/39 में से प्रतिवादी संख्या 1 रायसिंह का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। बैंक ऋण होने की स्थिति में बैंक से अनापति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे।

यह आज तारीख 13.6.2018 राजस्व लोक अदालत अभियान ग्राम पंचायत डबली कलां में मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



वाद के खर्चे

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, टिब्बी

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1.वादपत्र के लिए स्टाम्प	0	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0
2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	0	अर्जी के लिए स्टाम्प	0
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	0	प्लीडर की फीस	0
4.रूपये पर प्लीडर की फीस	0	साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	0	आदेशिका की तामील	0
6 कमिश्नर की फीस	0	कमिश्नर की फीस	0
7 आदेशिका की तामील	0		0